

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, पाली
27/04
आदेश

दिनांक..12-04-2018

क्रमांक/एफ.1(2)(1)संस्था/2018/

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.वी.सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य की अनुपालना में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्रसु/अनु.-3/2017 दिनांक 05.03.2018 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्न अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में लिपिक ग्रेड-II के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल-IV के तहत लेवल-5 में 14600/- (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित विभाग/कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम/ पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम
1	श्री जितेन्द्र राजपुरोहित पुत्र श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित	05.04.1990	GE	496	771827	उपखण्ड कार्यालय, पाली
2	श्री वसंत राज पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा	18.10.1994	GE	563	770956	सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, पाली
3	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल सीरवी	20.02.1992	BC	688	672544	तहसील कार्यालय, रानी
4	श्री श्रीपाल कोचर पुत्र श्री प्रकाश चन्द कोचर	01.10.1987	GE	842	460339	तहसील कार्यालय, देसूरी
5	श्री देवेन्द्र चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल	21.01.1992	BC	861	664507	उपखण्ड कार्यालय, रानी
6	श्री हरी किशन पुत्र श्री मोहन लाल	30.03.1993	BC	865	447978	उपखण्ड कार्यालय, देसूरी
7	श्री गणेश चौधरी पुत्र श्री हरी राम चौधरी	13.11.1984	BC	944	464139	कोष कार्यालय, पाली
8	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार	02.03.1990	GE	973	462495	तहसील कार्यालय, रानी
9	श्री महेश कुमार पुत्र श्री लाल चन्द वर्मा	08.10.1995	BC	984	873116	तहसील कार्यालय, मारवाड़ जंक्शन
10	श्री सुनील जांगिड़ पुत्र श्री मनोहर लाल	03.01.1988	BC	1015	208153	उपखण्ड कार्यालय, मारवाड़ जंक्शन
11	श्री घमेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री तेज सिंह राजपुरोहित	19.01.1995	GE	1359	769366	तहसील कार्यालय, रायपुर
12	श्री पुष्पेन्द्र वैष्णव पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास	13.10.1990	BC	1542	646410	तहसील कार्यालय, रायपुर
13	श्री अविनाश राजपुरोहित पुत्र श्री मुकन सिंह	27.12.1984	GE	1554	671886	तहसील कार्यालय, रायपुर
14	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री अचलसिंह	29.11.1990	GE	1834	773233	तहसील कार्यालय, सोजत
15	श्री खुशाल चंद पुत्र श्री चन्दनमल	12.03.1991	BC	1869	770550	तहसील कार्यालय, मारवाड़ जंक्शन
16	श्री शुभम पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार	21.11.1994	GE	2029	676618	तहसील कार्यालय, सोजत


D:\WASURPSC\IRPSC LDC-2018.doc

क्र. सं.	नाम/ पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम
17	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह सोनिगरा	01.08.1991	GE	2038	188487	तहसील कार्यालय, सोजत
18	श्री मानवेन्द्र डावी पुत्र श्री मांगीलाल	31.08.1989	BC	2072	771295	तहसील कार्यालय, पाली
19	श्री सुरेश गेहलोत पुत्र श्री धर्मराम गेहलोत	01.01.1995	BC	2340	773933	तहसील कार्यालय, जैतारण
20	श्री धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र श्री हनुमान राम	02.09.1992	BC	2649	148262	तहसील कार्यालय, सुमेरपुर
21	श्री अस्त अली पुत्र श्री मुमताज	01.01.1994	BC	2717	504946	तहसील कार्यालय, सुमेरपुर
22	श्री लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी	13.10.1988	BC	2799	773108	उपखण्ड कार्यालय, बाली
23	श्री मुकेश चौहान पुत्र श्री रामेश्वरलाल	25.03.1994	BC	2802	318660	उपखण्ड कार्यालय, रायपुर
24	श्री सुभाष पुत्र श्री कानाराम	14.07.1995	BC	2955	677299	तहसील कार्यालय, पाली
25	श्रीमती मूली पुत्री श्री जाला राम	05.07.1990	BC	3005	652667	उपखण्ड कार्यालय, रोहट
26	श्री रामेश्वरलाल देवासी पुत्र श्री ढगलाराम	09.07.1990	SB	3178	206098	उपखण्ड कार्यालय, बाली
27	श्री दलपत दान पुत्र श्री शम्भु दान	15.07.1991	BC	3184	671917	तहसील कार्यालय, रोहट
28	श्री हुकमाराम पुत्र श्री खियाराम	05.04.1995	BC	3248	671979	तहसील कार्यालय, रोहट
29	श्री अशोक बिश्नोई पुत्र श्री सहीराम बिश्नोई	29.02.1992	BC	3299	249674	लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली
30	शिवा सैणचा पुत्र श्री ओमप्रकाश सैणचा	25.04.1993	BC, WE	3380	76891	तहसील कार्यालय, जैतारण
31	पवित्रा सोलंकी पुत्री श्री ओम प्रकाश	10.07.1994	BC, WE	3530	667468	निर्वाचन शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली
32	श्री हरीश पुत्र श्री सेठा राम	21.04.1991	BC	3607	656486	तहसील कार्यालय, बाली
33	श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अयुब	02.02.1987	BC	3751	662670	जिला रसद कार्यालय, पाली
34	श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह	06.03.1992	BC	3776	765230	तहसील कार्यालय, जैतारण
35	श्री रामपाल पुत्र श्री गोविन्द राम	08.04.1994	BC	3795	667983	उपखण्ड कार्यालय, सोजत
36	श्री लेखराज बिश्नोई पुत्र श्री जोधाराम बिश्नोई	06.07.1993	BC	3813	674127	तहसील कार्यालय, पाली
37	श्री राकेश वैष्णव पुत्र श्री विजय राज	15.10.1989	BC	3837	651730	तहसील कार्यालय, जैतारण
38	श्री धीरज पुत्र श्री नरपत सिंह परिहार	21.08.1992	BC	3860	666065	तहसील कार्यालय, देसूरी
39	रीता माहेश्वरी पुत्र श्री चम्पालाल माहेश्वरी	11.12.1993	GN, WE	4037	665288	तहसील कार्यालय, रोहट
40	श्री लाला राम पुत्र श्री तिलोका राम	14.07.1988	BC	4146	665420	उपखण्ड कार्यालय, सुमेरपुर

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिए किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिन में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्य संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, लिपिक ग्रेड-II के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओवीसी. एसवीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11(204)आरएण्डपी/डीडीवीसी/सामान्यअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिरूचना क्रमांक: एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम-16 व परिशिष्ट-IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
7. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड-II के पद की पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देये होंगे।
10. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड-II प्रतियोगी परीक्षा 2013 में योग्यता सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में होगी।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देये होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
13. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवारत समाप्त कर सकेगी।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


16. परीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकरिमक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकरिमक अवकाश देय होगा।
17. परीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की कटौति नहीं की जावेगी।
18. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
19. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: एफ-7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
20. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक:एफ-6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ-6(5) वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी।
21. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शापित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।


(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमांक/एफ.1(2)(1)संस्था/2018/ 2790-2920

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्रसु/अनु.- 3/2017 दिनांक 05.03.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
4. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली
5. प्रभारी अधिकारी, लेखा/.....शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली
6. सहायक निदेशक, रोजगार सेवाएं, पाली
7. उपखण्ड अधिकारी, समस्त
8. जिला रसद अधिकारी, पाली
9. कोषाधिकारी, पाली
10. तहसीलदार, समस्त
11. उप कोषाधिकारी, समस्त
12. अति. प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, पाली
13. निजी सहायक, जिला कलेक्टर/अति.जिला कलेक्टर, पाली
- 14.

15. निजी पत्रावली -
16. रक्षित पत्रावली


जिला कलेक्टर, पाली